रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940
No. 231] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2019

का.आ. 333(अ).—दिनांक 28.12.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं.6354 (अ) के अधिक्रमण में निम्नलिखित अधिसूचित किया जाता है :

2. यत: केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना-2021 के संबंध में अपने समीक्षा कार्य के भाग के रूप में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम,1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2014 के का.आ. 2177(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस (45) दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) के द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

3. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

4. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधित करने का निर्णय लिया है।

5. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

पैरा/क्रमांक	**दिल्ली मुख्य योजना-2021**	
	दिल्ली मुख्य योजना-2021 में मौजूदा उपबंध	**प्रस्तावित संशोधन/आशोधन**
	अध्याय -7.0 उद्योग	
1.	**7.4 घरेलू/सेवा उद्योग**	
	ii) औद्योगिक इकाइयों की अनुमति केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनंतिम पंजीकरण के बाद दी जा सकती है।	उप पैरा (ii) का विलोपन किया जाए; और उप पैरा (iii) से (vi) तक को दोबारा (ii) से (v) तक के रूप में नम्बर डाला जाए।
2.	7.8 **उद्योग उपयोग जोन–मार्गनिर्देश**	
	विकसित किये जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूखंडीय विकास पृथक औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है। **पहले से अनुमोदित स्कीमों को छोड़कर नए औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खण्डों का अधिकतम आकार 400 वर्ग मीटर होगा।**	i) विकसित किये जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूखंडीय विकास पृथक औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. के-12011/5/2017-डीडी-I]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2019

S.O. 333(E).—In supersession of Gazette Notification S.O. No. 6354(E) dated 28.12.2018, the following is notified:

2. Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No.2177 (E) dated 28.08.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

3. Whereas, no objections/suggestions has been received with regard to the proposed modifications.

4. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Para/ S.N.	**MPD-2021**	
	Existing Provision in MPD-2021	**Proposed Amendments/Modifications**
	CHAPTER-7.0 INDUSTRY	
1	**7.4 HOUSEHOLD / SERVICE INDUSTRIES**	
	ii) The industrial units could be permitted only after provisional registration by the Govt. of NCTD.	Sub-para (ii) to be deleted; and sub-paras (iii) to (vi) to be renumbered as (ii) to (v).

2	**7.8 INDUSTRY USE ZONE – GUIDELINES**	
	i) The new industrial areas to be developed may have plotted development for individual industrial units. **The maximum size of industrial plots in new industrial areas shall be 400 sqm. except in already approved schemes.**	i) The new industrial areas to be developed may have plotted development for individual industrial units.

[F.No. K-12011/5/2017-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.17 22:06:53 +05'30'